राजस्व अनुवृत्ति–पत्र

रा.प्र.क्र. 202508030600038 / अ–62 / 2024–25

पक्षकार छ.ग.शासन बनाम दुहन पिता दीदा साय ग्राम–बिमड़ा तह–बगीचा, जिला–जशपुर (छ0ग0)

1	2	3
09.10.2025	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण का अवलोकन किया गया। – न्यायालय नायब तहसीलदार बगीचा के प्रतिवेदन दिनांक 09.04.2025 अनुसार ग्राम बिमड़ा प.ह.नं. 21 तह0 बगीचा जिला जशपुर (छ0ग0) में उपस्थित हो कर ग्राम कोटवार, सरपंच ग्राम पंचायत बिमड़ा एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौका जांच किया गया ग्राम बिमड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 54/4 रकबा 0.130 हे. भूमि दुहन पिता दीदा साय जाति कंवर के नाम से भू–अभिलेख में दर्ज है। दुहन के द्वारा हरा आम के 14 वृक्ष को काटा गया है, उक्त पेड़ के कटाई हेतु अनुमति नहीं लिया गया है। जांच में मौके पर 13 बोंगी पाया गया जिसको जप्तीकर सुपूर्द में दुहन पिता दीदा जाति कंवर को उपस्थित सरपंच, कोटवार एवं गवाहों के समक्ष सुपूर्द किया गया। – छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241(4) के तहत् कटे हुए प्रत्येक प्रकरण पर 25000/– रू. (पच्चीस हजार रू. मात्र) तक शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। कुल 14 पेड़ आपके द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति बिना पेड़ों की कटाई कर दिया गया है। जो दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। – आवेदक दुहन का बयान दर्ज किया गया जिसमें बताया गया है कि ग्राम बिमड़ा में खसरा नं. 54/4 रकबा 0.130 हे. भूमि स्थित हैं मेरे भूमि पर लगभग 35 नग पेड़ लगे हुए थे। दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा 14 पेड़ को घर बनाने के उद्देश्य से आरा मशीन से कटाई किया गया है। जिसकी लम्बाई एवं चौड़ाई मै नहीं बता सकता। समस्त कटे हुए वृक्ष वर्तमान में मौके पर ही मौजूद है। – अनाधिकृत रूप से वृक्ष कटाई हेतु छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241(4) के तहत् कटे हुए वृक्षों पर 25000/– रू. (पच्चीस हजार रू. मात्र) प्रति प्रकरण शास्ति करने का प्रावधान है। तत्संबंध में श्री दुहन पिता दीदा साय जाति कंवर तहसील बगीचा को नोटिस दिनांक 22.04.2025 को जारी किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री दुहन द्वारा दिनांक 05.05.2025 को अपना बयान दर्ज कराया । बयान के के परीक्षण उपरांत श्री दुहन अवैध वृक्ष कटाई का दोषी पाया गया। – अतः प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, आवेदक का बयान से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा स्वयं की रोपित वृक्षक को बिना अनुमति के काटा गया है। जिसके लिए छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 241(4) के तहत् कटे हुए 14 वृक्ष की कटाई का 1000/– रू. (एक हजार रू. मात्र) शास्ति (अर्थदण्ड) आरोपित किया जाता है। अतः तत्काल शीर्ष 0029 भू–राजस्व, 800 लघुशीर्ष अन्य प्राप्तियॉ मद में शास्ति राशि 07 दिवस के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए भू–राजस्व की भॉति वसूल की जावेगी। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बगीचा, जिला–जशपुर (छ0ग0)	